न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार, (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 47 / 2022

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थी
संतूदेवी पुत्री भंवरारामजी, पत्नि श्री कस्तूरारामजी, जाति घांची, निवासी घांचियों का बास, ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर ।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम ।

अधिवक्तागणः –

1. प्रार्थीनी की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी की तरफ से राजकीय अधिवक्ता ।

निर्णय

दिनांक :– 28/9/2022

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीनी की सहखातेदारी की कृषि भूमियां खसरा संख्या 551, 547, 548, 574 वाके राजस्व ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में आयी हुई स्थित हैं । उक्त कृषि भूमियां प्रार्थीनी की पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमियां हैं जिसमें प्रार्थीनी का बोलता नाम संतोष दर्ज कर दिया गया हैं जबकि प्रार्थीनी का सही एवं वास्तविक नाम सन्तुदेवी हैं । कालान्तर में प्रार्थीनी का नाम सन्तुदेवी की जगह राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों की त्रुटिवश संतोष दर्ज कर दिया गया जो कि गलत हैं जिससे कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज दुषित हो गये हैं तथा प्रार्थीनी के नाम से जो आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, ई श्रम कार्ड, बैंक खाता इत्यादि जो बने हुए हैं उन सभी में भी सन्तुदेवी ही प्रार्थीनी का नाम दर्ज हैं जिससे कि प्रार्थीनी को उक्त कृषि भूमियों के कृषि खराबे के मुआवजें व केसीसी लेने में हर बार दिक्कत आती हैं तथा कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं । राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में जो प्रार्थीनी का नाम संतोष दर्ज हैं उसके स्थान पर सन्तुदेवी दर्ज किया जाना आवश्यक हैं जिससे कि प्रार्थीनी को केसीसी लेने में तथा कृषि खराबे का मुआवजा लेने में कठिनाईयों का सामना नहीं करना पड़ेगा । अंत में निवेदन किया कि खसरा संख्या 551, 547, 548, 574 वाके राजस्व ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, में जो प्रार्थीनी का नाम संतोष पुत्री भंवरारामजी दर्ज हैं उसके स्थान पर सन्तुदेवी पुत्री भंवरारामजी दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के संलग्न प्रार्थीनी के दस्तावेज यथा राशनकार्ड, यूको बैंक डायरी, आधारकार्ड, पेन कार्ड, ईश्रम कार्ड इत्यादी में प्रार्थीनी का नाम सन्तूदेवी ही दर्ज हैं ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् संतोष के स्थान पर संतूदेवी शुद्ध किया जाना न्यायोचित जान पड़ता हैं ।

अतः तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता हैं कि खसरा संख्या 551, 547, 548, 574 वाके राजस्व ग्राम नन्दवान, तहसील लूणी, में जो प्रार्थीनी का नाम संतोष पुत्री भंवरारामजी दर्ज हैं उसके स्थान पर सन्तुदेवी पुत्री भंवरारामजी दर्ज किया जावें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

(गोपाल परिहार)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी ।
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner